

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

कार्मिक का विवरण:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	श्रीमती परमजीत कौर, वरिष्ठ अध्यापक(पंजाबी)	रा.उ.मा.वि. तख्तहजारा (श्रीगंगानगर)	25.07.1972	कनाडा- 25.12.19 से 05.01.20 तक (12 दिवस)
2	श्रीमती अलका पारीक, वरिष्ठ अध्यापक(प्रअ उप्रावि)	रा.बा.उ.प्रा.वि. सिरसी, झोटवाड़ा(जयपुर)	20.11.1965	दुबई- 10.12.2019 से 15.12.19 तक (06 दिवस)
3	श्रीमती परवीन शेख, वरिष्ठ अध्यापक(उर्दू)	रा.उ.मा.वि. मण्डी, जोधपुर	01.07.1966	अरब (मक्का मदीना) 01.11.19 से 20.11.19 तक (20 दिवस)
4	श्रीमती रविन्द्र कौर, अध्यापक लेवल-1	रा.उ.मा.वि. नवां(हनुमानगढ़)	15.08.1966	ब्रिस्बेन(आस्ट्रेलिया) 01.01.20 से 30.01.20 तक (30 दिवस)
5	श्री चैनाराम, वरिष्ठ अध्यापक(संस्कृत)	रा.उ.मा.वि. तिलोरा(अजमेर)	11.07.1971	बैंकॉक(थाईलैण्ड)- 08.11.19 से 15.11.19 तक (08 दिवस)
6	श्रीमती आशा जैन, वरिष्ठ अध्यापक(हिन्दी)	रा.बा.मा.वि. नला बाजार, अजमेर	01.06.1961	सिंगापुर- 25.10.19 से 12.11.19 तक (19 दिवस)

शर्त:-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं टहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में टहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।

- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/वो-6/2019/177

दिनांक- 21-10-19

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर संभाग।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर/जयपुर/जोधपुर/हनुमानगढ़/अजमेर।
- 4- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान सादुलशहर/झोटवाडा/जोधपुर।
- ✓ 5- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 7- रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)